बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना।

अल्पकालीन निविदा सूचना
सं० 05/2022–23

1. विभाग का नामः– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार।
2. विज्ञापनदाता का नाम एवं पताः– निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना।
3. परिमाण विपत्र की बिक्री की अंतिम तिथि एवं समयः– दिनांक 30–09–2022 को अपराह्न 1.00 बजे तक
4. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय :– 30–09–2022 को अपराह्न 2.00 बजे तक।
5. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :– 30–09–2022 को अपराह्न 3.00 बजे।

क्र. सं.	विवरणी	निविदा प्रपत्र का मूल्य।	अग्रधन की राशि
1	संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना में निम्नांकित बैट्रीचालित वाहनों की आपूर्तिः– (1) 2 Seater Electrical Golf Cart. Make – Mahindra or similar make. (2) 6-8 Seater Electrical Cart, Make – Mahindra/Maini o`r similar make (Bus model). (3) 11 + 1 Seater Electrical Cart – Make – Mahindra/Maini or similar make (Bus model).	रू० 2,000/– (रूपये दो हजार)	निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम से रू० 1,00,000/– (एक लाख रूपये) का राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमांड ड्राफ्ट जो पटना में भुगतेय हो।

निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं निविदा प्रपत्र निदेशक कार्यालय से कार्यावधि में प्राप्त किया जा सकता है एवं वेबसाईट www.forest.bih.nic.in/www.zoopatna.com पर देखा जा सकता है।

(सत्यजीत कुमार)
निदेशक।

पैसे के बल पर काम कराना, अपराध है। काम सही हो तो मुफ्त होगा।

बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना।

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, में (1) 2 Seater Electrical Golf Cart, Make: Mahindra or similar make, (2) 6-8 Seater Electrical Cart, Make: Mahindra/Maini or similar make (Bus model), (3) 11 + 1 Seater Electrical Cart – Make: Mahindra/Maini or similar make (Bus model) की आपूर्ति हेतु निर्धारित नियम एवं शर्तें।

1. संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, में (1) 2 Seater Electrical Golf Cart, Make: Mahindra or similar make, (2) 6-8 Seater Electrical Cart, Make: Mahindra/Maini or similar make (Bus model), (3) 11 + 1 Seater Electrical Cart – Make: Mahindra/Maini or similar make (Bus model) की आपूर्ति हेतु संबंधित बैट्रीचालित वाहन के निर्माता/निबंधित आपूर्त्तिकर्त्ताओं/निबंधित फर्म/निबंधित प्रतिष्ठानों से दिनांक 30–09–2022 के 2.00 बजे अपराह्न तक निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम में विहित प्रपत्र में मुहरबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है।

2. निविदाकर्ता 'तकनीकी बिड' (प्रपत्र 'क') तथा 'वित्तीय बिड' (प्रपत्र 'ख') दो अलग–अलग लिफाफों में डालकर एवं सीलबंद कर दोनों लिफाफों को एक अलग लिफाफे में डालकर सीलबंद करेंगे। तकनीकी बिड के लिफाफे पर 'तकनीकी बिड' तथा उसपर अपना नाम एवं पता अंकित करेंगे। उसी प्रकार 'वित्तीय बिड' के लिफाफे पर 'वित्तीय बिड' लिखकर अपना नाम एवं पता अंकित करेंगे। मुख्य लिफाफा जिसके अन्दर 'तकनीकी बिड' तथा 'वित्तीय बिड' के दोनों लिफाफे रहेंगे उसपर "**बैट्रीचालित वाहन की आपूर्ति हेतु निविदा**" अंकित कर अपना नाम, पत्राचार का पता एवं मोबाईल नम्बर अंकित करेंगे।

3. प्राप्त निविदाओं को दिनांक 30–09–2022 को 3.00 बजे अपराह्न में निविदाकर्त्ता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष निदेशक कार्यालय में निविदा समिति द्वारा खोला जायेगा। यदि कोई निविदाकर्त्ता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि निविदा खोलने के समय उपस्थित नहीं होते हैं तब भी निविदा मान्य समझा जायेगा। तकनीकी बिड के मूल्यांकन के पश्चात् केवल तकनीकी बिड में सफल निविदाकर्त्ताओं का ही वित्तीय बिड खोला जाएगा।

4. विलम्ब से या अन्य माध्यम से अथवा सशर्त प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. निविदा का प्रपत्र एवं शर्तों की प्रति निदेशक कार्यालय से रूपये 2000/– (रूपये दो हजार) प्रति की दर से दिनांक 30–09–2022 को 1.00 बजे अपराह्न तक कार्यावधि में प्राप्त किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र का मूल्य अप्रत्यर्पणीय (Non-refundable) है।

5. निविदाकर्त्ता, तकनीकी बिड (प्रपत्र 'क') के साथ निविदा–प्रपत्र क्रय से संबंधित मनी रसीद की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करेंगे। वेबसाईट से निविदा प्रपत्र अपलोड करने की स्थिति में निविदा–प्रपत्र की राशि रू० 2000/– का डिमांड ड्राफ्ट जो निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम में होगा, जमा करना अनिवार्य होगा।

6. निविदाकर्त्ता को तकनीकी बिड (प्रपत्र 'क') के साथ निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम में रू० 1,00,000/–(रूपये एक लाख) अग्रधन राशि (सत्यंकार राशि) का राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट, जो पटना में भुगतेय हो, संलग्न करना होगा। सफल निविदाकर्त्ता के अग्रधन की राशि को प्रतिभूति राशि के रूप में रखा जाएगा। सफलतापूर्वक कार्य समापन के उपरांत यह राशि लौटा दी जाएगी। असफल निविदाकर्त्ता के अग्रधन की राशि निविदा के अन्तिम निर्णय के दो सप्ताह के बाद लौटा दी जायेगी।

7. निविदाकर्त्ता को तकनीकी बिड (प्रपत्र 'क') के साथ अपने पैन/टैन कार्ड का स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करना है। (मूलप्रति तकनीकी बिड खोलने के समय प्रस्तुत करना होगा)।

कृ०पृ०उ०

8. निविदाकर्त्ता, तकनीकी बिड (प्रपत्र 'क') के साथ वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के आयकर रिटर्न (Assessment year 2020-21 & 2021-22) की स्वःअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे। (मूलप्रति तकनीकी बिड खोलने के समय प्रस्तुत करना होगा)।

9. निविदाकर्त्ता, तकनीकी बिड (प्रपत्र 'क') के साथ जी०एस०टी० निबंधन का स्वःअभिप्रमाणित छायाप्रति एवं कम से कम दो बार जी.एस.टी. रिटर्न जमा होने के प्रमाण–पत्र की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करेंगे। (मूल प्रति तकनीकी बिड खोलने के समय प्रस्तुत करना होगा)।

10. निविदाकर्त्ता, तकनीकी बिड (प्रपत्र 'क') के साथ किसी पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेट से अभिप्रमाणित विगत तीन वर्षों का परिसम्पति (Capital asset) का व्योरा समर्पित करेंगे। वार्षिक टर्न–ओवर कम से कम रू० 70,00,000/– (सत्तर लाख रूपये) प्रतिवर्ष होना चाहिए। (मूलप्रति तकनीकी बिड खोलने के समय प्रस्तुत करना होगा)।

11. निविदाकर्त्ता, तकनीकी बिड (प्रपत्र 'क') के साथ पता और पहचान से संबंधित प्रमाण–पत्र की स्वःअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे। (मूलप्रति तकनीकी बिड खोलने के समय प्रस्तुत करना होगा)।

12. निविदाकर्त्ता, तकनीकी बिड (प्रपत्र 'क') के साथ डीलर के मामले में इस निविदा में भाग लेने के लिए निर्माता से प्राधिकरण संलग्न करेंगे।

13. प्राईवेट लिमिटेड फर्म होने की स्थिति में निविदाकर्त्ता / निविदाकर्त्ता के पास स्वामित्व/प्राधिकृत डीलरशिप/पावर ऑफ अटॉर्नी तकनीकी बिड (प्रपत्र 'क') के साथ संलग्न करेंगे।

14. प्राईवेट लिमिटेड फर्म होने पर निविदाकर्त्ता को तकनीकी बिड (प्रपत्र 'क') के साथ एसोसिएशन का ज्ञापन/साझेदारी डीड/पावर ऑफ अटॉर्नी संलग्न करेंगे।

15. निविदाकर्त्ता, तकनीकी बिड (प्रपत्र 'क') के साथ बैट्रीचालित वाहनों का Technical specification तथा make/brand specification के साथ फोटो संलग्न करेंगे जिसके लिए दर अंकित कर रहे है।

16. निविदाकर्त्ता, तकनीकी बिड (प्रपत्र 'क') के साथ सभी बैट्रीचालित वाहनों का ISO/ISI मानक होने संबंधी प्रमाण–पत्र संलग्न करेंगे।

17. निविदाकर्त्ता द्वारा किसी मान्यता प्राप्त बड़े चिड़ियाघर (Large Zoo) में बैट्रीचालित वाहन की आपूर्ति किया गया हो तथा उस चिड़ियाघर के सक्षम प्राधिकार से निर्गत performance certificate की छायाप्रति तकनीकी बिड (प्रपत्र 'क') के साथ संलग्न करेंगे। (मूलप्रति तकनीकी बिड खोलने के समय प्रस्तुत करना होगा)।

18. निविदाकर्त्ता, तकनीकी बिड (प्रपत्र 'क') के साथ बैट्रीचालित वाहन का 1–2 साल का वारंटी सर्टिफिकेट एवं 2 साल के ए.एम.सी. का हल्फनामा समर्पित करेंगे। निविदाकर्ता द्वारा यह declaration देना होगा कि वे कम से कम 3 साल तक on-site maintenance करेंगे।

19. निविदाकर्त्ता, तकनीकी बिड (प्रपत्र 'क') के साथ किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित अपना हस्ताक्षर मूलरूप में समर्पित करेंगे।

20. निविदाकर्त्ता, तकनीकी बिड (प्रपत्र 'क') के साथ नोटरी द्वारा निर्गत मूल शपथ–पत्र जमा करेंगे जिसमें निविदाकर्त्ता इस बात की घोषणा करेंगे कि उनका नाम सरकारी/गैर सरकारी संस्था द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है और न ही कृष्णचिन्हित किया गया है।

21. निविदाकर्त्ता, तकनीकी बिड (प्रपत्र 'क') के साथ नोटरी द्वारा निर्गत मूल शपथ–पत्र जमा करेंगे जिसमें निविदाकर्त्ता इस बात की घोषणा करेंगे कि उनके द्वारा निविदा के साथ समर्पित कोई भी कागजात/अभिलेख निविदा खोलने के समय अथवा उसके बाद कभी भी असत्य, जाली अथवा नकली पाया जाता है तो उनके विरूद्ध सक्षम प्राधिकार द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

कृ०पृ०उ०

(क) निविदाकर्त्ता द्वारा <u>तकनीकी बिड</u> (प्रपत्र 'क') के साथ समर्पित किये जाने वाले कागजातः—

I- निविदा—प्रपत्र क्रय से संबंधित मनी रसीद की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति। वेबसाईट से निविदा प्रपत्र अपलोड करने की स्थिति में निविदा—प्रपत्र की राशि रू० 2000/— का निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम का डिमांड ड्राफ्ट।

II- निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम में रू० 1,00,000/—(रूपये एक लाख) अग्रधन राशि (सत्यंकार राशि) का राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट जो पटना में भुगतेय हो।

III- पैन/टैन कार्ड की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति।

IV- वर्ष 2019—20 एवं 2020—21 के आयकर रिटर्न (Assessment year 2020-21 & 2021-22) की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति।

V- जी०एस०टी० निबंधन का स्वःअभिप्रमाणित छायाप्रति एवं कम से कम दो बार जी.एस.टी. रिटर्न जमा होने के प्रमाण पत्र की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति।

VI- पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेट से अभिप्रमाणित विगत तीन वर्षों का परिसम्पति (Capital asset) का ब्योरा। वार्षिक टर्न—ओवर कम से कम रू० 70,00,000/— (सत्तर लाख रूपये) प्रतिवर्ष होना चाहिए।

VII- पता और पहचान से संबंधित प्रमाण—पत्र की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति।

VIII- डीलर के मामले में इस निविदा में भाग लेने के लिए निर्माता से प्राधिकरण।

IX- प्राईवेट लिमिटेड फर्म होने पर निविदाकर्त्ता/निविदाकर्त्ता के पास स्वामित्व/प्राधिकृत डीलरशिप/पावर ऑफ अटॉर्नी।

X- प्राईवेट लिमिटेड फर्म होने पर निविदाकर्त्ता को एसोसिएशन का ज्ञापन/साझेदारी डीड/पावर ऑफ अटॉर्नी।

XI- बैट्रीचालित वाहनों का Technical specification तथा make/brand specification के साथ फोटो जिसके लिए दर अंकित कर रहे है।

XIII- सभी बैट्रीचालित वाहनों का ISO/ISI मानक होने संबंधी प्रमाण—पत्र।

XIV- किसी मान्यता प्राप्त बड़े चिड़ियाघर (Large Zoo) में बैट्रीचालित वाहन की आपूर्ति तथा उस चिड़ियाघर के सक्षम प्राधिकार से निर्गत performance certificate की छायाप्रति।

XV- बैट्रीचालित वाहन का 1—2 साल का वारंटी सर्टिफिकेट एवं 2 साल के ए.एम.सी. का हल्फनामा तथा 3 साल तक on-site maintenance का declaration.

XVI- राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा निविदाकर्त्ता का अभिप्रमाणित हस्ताक्षर (मूलरूप में)।

XVIII नोटरी का मूल शपथ—पत्र जिसमें निविदाकर्त्ता घोषणा करेंगे कि उनका नाम सरकारी/गैर सरकारी संस्था द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है और न ही कृष्णचिन्हित किया गया है।

XIX- नोटरी का मूल शपथ—पत्र जिसमें निविदाकर्त्ता घोषणा करेंगे कि उनके द्वारा निविदा के साथ समर्पित कोई भी कागजात/अभिलेख निविदा खोलने के समय अथवा उसके बाद कभी भी असत्य, जाली अथवा नकली पाया जाता है तो उनके विरूद्ध सक्षम प्राधिकार द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

नोटः. *निविदा खोलने के समय अथवा उसके बाद कभी भी यदि यह पाया जाता है कि निविदाकर्त्ता द्वारा निविदा के साथ समर्पित कोई भी कागजात/अभिलेख असत्य, जाली अथवा नकली है तो निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना द्वारा उनके विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है। सफल निविदाकर्त्ता के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज किया जा सकता है तथा एकरारनामा को रद्द करते हुए उनके जमानत की राशि को राज्यसात कर कृष्णचिन्हित किया जा सकता है।*

(2) निविदा के साथ समर्पित सभी अभिलेखों/कागजातों पर निविदाकर्त्ता का हस्ताक्षर अनिवार्य है।

<u>वित्तीय बिड (प्रपत्र 'ख')</u>

निविदाकर्त्ता, क्रय किए गए निविदा प्रपत्र 'ख' पर अपना दर साफ—साफ अक्षरों में अंकित करेंगे जो अंक एवं शब्द दोनों में होना चाहिए। उनके द्वारा अंकित दर में 1—2 साल के वारंटी एवं 02 (दो) साल के ए. एम.सी. के साथ—साथ सभी प्रकार के कर यथा आयकर, जी.एस.टी. इत्यादि सहित तथा संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना में बैटीचालित वाहन पहुंचा कर होगा। करों का भुगतान सफल निविदाकर्त्ता द्वारा किया जाएगा।

अन्य शर्तेः—

22. सभी आपूर्ति किये गये वाहनों पर, सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर सभी प्रकार के देय कर यथा आयकर, जी०एस०टी० इत्यादि का भुगतान निविदाकर्त्ता को करना होगा।

23. वित्तीय निविदा का मूल्यांकन निर्धारित कार्यों के लिए उल्लेखित दरों में से जो न्यूनतम होगा के आधार पर तय किया जाएगा।

24. सफल निविदादाता आदेश निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर रू० 1000/– (एक हजार रूपये) मात्र का नन–जुडिशियल स्टाम्प पेपर कार्यालय में जमा कर एकरारनामा करेंगे।

25. प्राप्त/स्वीकृत निविदा दर से कम दर पर बाजार में उसी गुणवत्ता की सामग्री सुलभ होने पर सफल निविदाकर्त्ता को बाजार दर पर सामग्री की आपूर्ति करनी होगी।

26. निविदाकर्त्ता अपनी निविदा में विभिन्न बैट्रीचालित वाहनों के लिए अलग–अलग एवं साफ–साफ अक्षरों में दर अंकित करेंगे। उनके द्वारा अर्पित दर सभी करों सहित निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना में सामग्री पहुंचा कर होगा।

27. निर्धारित बैट्रीचालित वाहनों की आपूर्ति की किस्म एवं मात्रा के संबंध में किसी प्रकार के विवाद का निर्णय समिति द्वारा किया जायेगा, जिसके सदस्य उप निदेशक, पशुचिकित्सा पदाधिकारी एवं वनों के क्षेत्र पदाधिकारी रहेंगे। समिति द्वारा लिया गया निर्णय यदि आपूर्तिकर्त्ता को मान्य नहीं होगा, तो वैसी हालत में अंतिम निर्णय निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना द्वारा किया जाएगा।

28. निविदा पर क्रय समिति द्वारा लिये गये निर्णय के पश्चात् संबंधित पदाधिकारी द्वारा आपूर्ति आदेश निर्गत किए जाने पर निर्धारित तिथि के एक माह के भीतर बैट्रीचालित वाहनों की आपूर्ति करनी होगी अन्यथा सत्यंकार राशि/प्रतिभूति राशि जप्त कर आपूर्तिकर्त्ता को कृष्ण–चिन्हित कर दिया जायेगा और द्वितीय निविदादाता से (L-1 दर पर) आपूर्ति प्राप्त करने की कार्रवाई की जायेगी।

29. यदि निविदादाता निविदा शर्त के किसी भी कंडिका के उल्लंघन करते हैं अथवा वाहनों की आपूर्ति समय एवं मात्रा में नहीं करते हैं, तो उनके निविदा को रद्द करने तथा जमा प्रतिभूति राशि को जप्त (Forfeit) करने एवं कृष्ण–चिन्हित करने का अधिकार निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को सुरक्षित रहेगा। आवश्यकतानुसार अन्य निविदाकर्त्ता से सफल निविदादाता द्वारा समर्पित निविदा दर (L-1 दर) पर कार्य संपन्न किया जा सकेगा।

30. बैट्रीचालित वाहनों की आपूर्ति निर्धारित गुणवत्तानुसार एवं समयानुसार नहीं करने की स्थिति में एक या एक से अधिक निविदादाता को (L-1 दर पर) कार्यादेश देने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

31. बिना कारण बताये किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

32. आपूर्तिकर्त्ता द्वारा आपूर्ति किए गए निम्न कोटि के वाहन को आपूर्तिकर्त्ता द्वारा तुरंत हटा लिया जायेगा। यदि आपूर्तिकर्त्ता उसे नहीं हटाते है तो निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना अथवा उनके प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा उसे हटवा दिया जायेगा और उसके हटवाने पर जो खर्च होगा, उसे आपूर्तिकर्त्ता से वसूल किया जायेगा। आपूर्तिकर्त्ता को इस कार्य से होने वाली क्षति की जिम्मेवारी विभाग पर नहीं होगी।

33. सफल निविदाकर्त्ता को आदेशित वाहनों की आपूर्ति एक माह के अन्दर संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना में करनी होगी।

36. इस कार्यालय से प्राप्त निविदा शर्त/प्रपत्र में निविदाकर्त्ता लिखित रूप से प्रमाणित करेंगे कि उन्होंने निविदा के सभी शर्तों को पढ़ा/पढ़वाया और समझा है तथा वे सभी शर्तों को स्वीकार करते हैं।

34. निविदा की अवधि आगामी एक वर्ष का मान्य होगी।

35. निविदा के संबंध में किसी प्रकार का विवाद होने पर निपटारा पटना स्थित सक्षम न्यायालय में होगा।

निदेशक,
संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना।

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, में (1) 2 Seater Electrical Golf Cart, Make: Mahindra or similar make, (2) 6-8 Seater Electrical Cart, Make: Mahindra/Maini or similar make (Bus model), (3) 11 + 1 Seater Electrical Cart – Make: Mahindra/Maini or similar make (Bus model) की आपूर्ति हेतु

तकनीकी बिड का प्रपत्र।

प्रपत्र 'क'

क्रमांक	तकनीकी सूचना	निविदार्त्ता द्वारा समर्पित सूचना	पृष्ठ संख्या
1	निविदादात्ता द्वारा क्रय किए गए निविदा प्रपत्र से संबंधित मनी रसीद की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति। वेबसाईट से निविदा प्रपत्र अपलोड करने की स्थिति में निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम में रू० 2000/-- का डिमांड ड्राफ्ट।		
2	निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम में रू० 1,00,000/-(रूपये एक लाख) अग्रधन राशि (सत्यंकार राशि) का राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट जो पटना में भुगतेय हो।	बैंक ड्राफ्ट सं० दिनांक निर्गत बैंक का नाम	
3	पैन/टैन कार्ड की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति।		
4	वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के आयकर रिटर्न (Assessment year 2020-21 & 2021-22) की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति।		
5	जी०एस०टी० निबंधन का स्वःअभिप्रमाणित छायाप्रति एवं कम से कम दो बार जी.एस.टी. रिटर्न जमा होने के प्रमाण पत्र की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति।		
6	पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेट से अभिप्रमाणित विगत तीन वर्षों का परिसम्पति (Capital asset) का ब्योरा। वार्षिक टर्न–ओवर कम से कम रू० 70,00,000/– (सत्तर लाख रूपये) प्रतिवर्ष होना चाहिए।		
7	पता और पहचान से संबंधित प्रमाण–पत्र की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति।		
8	डीलर के मामले में निविदा में भाग लेने के लिए निर्माता से प्राधिकरण।		
9	प्राईवेट लिमिटेड फर्म होने पर निविदाकर्त्ता/ निविदाकर्त्ता के पास स्वामित्व/प्राधिकृत डीलरशिप /पावर ऑफ अटॉर्नी।		
10	प्राईवेट लिमिटेड फर्म होने पर निविदाकर्त्ता को एसोसिएशन का ज्ञापन/साझेदारी डीड/पावर ऑफ अटॉर्नी।		
11	बैट्रीचालित वाहनों का Technical specification तथा make/brand specification के साथ फोटो जिसके लिए दर अंकित कर रहे हैं।		
12	सभी बैट्रीचालित वाहनों का ISO/ISI मानक होने संबंधी प्रमाण–पत्र।		
13	किसी मान्यता प्राप्त बड़े चिड़ियाघर (Large Zoo) में बैट्रीचालित वाहन की आपूर्ति तथा उस चिड़ियाघर के सक्षम प्राधिकार से निर्गत performance certificate.		

कृ०पृ०उ०

14	बैट्रीचालित वाहन का 1–2 साल का वारंटी सर्टिफिकेट एवं 2 साल के ए.एम.सी. का हल्फनामा तथा कम से कम 3 साल तक on-site maintenance का declaration.		
15	राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा निविदाकर्त्ता का अभिप्रमाणित हस्ताक्षर (मूलरूप में)।		
16	नोटरी का मूल शपथ–पत्र जिसमें निविदाकर्त्ता घोषणा करेंगे कि उनका नाम सरकारी/गैर सरकारी संस्था द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है और न ही कृष्णचिन्हित किया गया है।		
17	नोटरी का मूल शपथ–पत्र जिसमें निविदाकर्त्ता घोषणा करेंगे कि उनके द्वारा निविदा के साथ समर्पित कोई भी कागजात/अभिलेख निविदा खोलने के समय अथवा उसके बाद कभी भी असत्य, जाली अथवा नकली पाया जाता है तो उनके विरूद्ध सक्षम प्राधिकार द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।		

नोटः– निविदाकर्त्ता को सभी अभिप्रमाणित छायाप्रति की मूलप्रति निविदा खुलने के समय दिखाना होगा।

स्थान :–

दिनांक :–

निविदाकर्त्ता का हस्ताक्षर

नाम एवं पूरा पताः–

मोबाईल नं० :–

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, में (1) 2 Seater Electrical Golf Cart, Make: Mahindra or similar make, (2) 6-8 Seater Electrical Cart, Make: Mahindra/Maini or similar make (Bus model), (3) 11 + 1 Seater Electrical Cart – Make: Mahindra/Maini or similar make (Bus model) की आपूर्ति हेतु

वित्तीय बिड का प्रपत्र।

प्रपत्र 'ख'

प्रेषक,

नामः–
पिता का नामः–

पत्राचार का पताः–
दूरभाष / मोबाईल संख्या–

सेवा में,

निदेशक,
संजय गाँधी जैविक उद्यान,
पटना।

महाशय,

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, में निम्नांकित बैट्रीचालित वाहनों की आपूर्ति हेतु अपना दर निम्नवत् समर्पित कर रहा हूँः–

कार्य विवरण	Name of the Brand / Make	Passenger seating capacity	**अर्पित दर प्रति बैट्रीचालित वाहन** *(बैट्रीचालित वाहन का 1–2 साल का वारंटी, 2 (दो) वर्षो के ए.एम.सी. तथा सभी प्रकार के कर (Tax) यथा आयकर, जी.एस.टी. इत्यादि सहित)*	
			अंक में	**शब्द में**
Electrical Golf Cart	Mahindra or similar make	2 seater		
Electrical Cart	Mahindra/Maini or similar make (Bus model)	6-8 seater		
Electrical Cart	Mahindra/Maini or similar make (Bus model).	12 seater		

2– उक्त पते पर जो भी पत्राचार किया जाएगा, मुझे स्वीकार्य होगा।

3– मैंने निविदा के सभी शर्तों को पढ़ा/पढ़वाया और समझा है तथा मैं सभी शर्तों को स्वीकार करता हूँ।

घोषणा :–

4– मेरे द्वारा अर्पित दर में संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के निर्धारित स्थल पर बैट्रीचालित वाहन को पहुंचा कर, सभी बैट्रीचालित वाहनों का 1–2 साल का वारंटी तथा 2 (दो) वर्षो के ए.एम.सी. की राशि, सम्मिलित है।

5– मेरे द्वारा बैट्रीचालित वाहनों का कम से कम 3 (तीन) वर्षो तक on-site maintenance किया जाएगा।

6– मेरे द्वारा अर्पित दर में सभी प्रकार के कर (Tax) यथा आयकर, जी.एस.टी. इत्यादि सम्मिलित जिसका भुगतान मेरे द्वारा किया जाएगा।

7– कार्य संपादन निर्धारित अवधि में कर लिया जायेगा।

आपका विश्वासी,